शैक्षिक सत्र–2026–27
सामान्य आधारिक विषय
(पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास)
(व्यावसायिक वर्ग)–कक्षा–12

परिचय–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1–शिक्षा की विविध धाराओं के अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराना जिससे कि स्वरोजगार को बढ़ाया जा सके।

2–तकनीकी जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के असंतुलन को कम करना।

3–लक्ष्यविहीन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को एक विकल्प प्रदान करना।

सारांश में उपर्युक्त उद्देश्यों पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सकेगी, जिनके पास आपने स्वयं के विकास के विस्तृत ज्ञान का स्रोत एवं प्रशिक्षण होगा, युवा शक्ति को लाभकारी रोजगार देकर उनमें निरुत्साह की भावना को समाप्त करने अथवा कम करने में सहयोगी हो सकेगी, उद्यमिता के प्रति एक स्वस्थ भावना का विकास, आत्मविश्वास तथा व्यावसायिक जागरूकता उत्पन्न कर सकेगी।

स्थूल रूप से व्यावसायिक शिक्षा केवल किसी एक व्यवसाय (ट्रेड) छात्रों में रुचि उत्पन्न कर ज्ञान बोध एवं कौशल प्राप्त करने की ओर ही नहीं आकर्षित करती है, वरन् इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उद्देश्यों की भी शिक्षा प्रदान करती है–

1–वातावरण तथा वातावरण के विकास के प्रति जागरूकता।

2–वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिवर्तनों के कारण वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति पहले से जानकारी होना।

3–अपने समाज की आवश्यकता तथा विकास के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा जीवनपर्यन्त शिक्षा तंत्र के एक अंश के रूप में समझना।

व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को वेतनभोगी अथवा स्वरोजगार दो प्रकार के व्यवसायों के लिये तैयार करती है किन्तु उनमें से अधिकांश छात्र स्वरोजगार हेतु अपने स्वयं के प्रतिष्ठानों को स्थापित करने में आवश्यक आत्मविश्वास की कमी रखते हैं, जबकि इसे स्वीकार किया जाना चाहिये कि आगामी आने वाले वर्षों के कुछ सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूढ़ने में स्वरोजगार की एक आवश्यक भूमिका होगी। अतः यह आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा स्वरोजगार से जोड़ा जाये।

आज की शिक्षण संस्थायें तथा समाजसेवी संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को वेतनभोगी रोजगार के लिये तैयार करना है जिसके फलस्वरूप छात्रों में रचनात्मक (Creativity), लगन (Perseverance), स्वतंत्रता (Independence), अन्तःदृष्टि (Visions) एवं नव–निर्माण की प्रवृत्ति (Innerativeness) जो उद्यमिता विकास के प्रमुख लक्षण हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों द्वारा अपने व्यवसाय (ट्रेड) से सम्बन्धित उद्यमिता के अवसरों का आभास करना, स्वरोजगार के क्रिया–कलापों की व्यवस्था करना तथा अपने प्रतिष्ठानों को प्रभावी व्यवस्था करने में प्रशिक्षण दिया जाना है। उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों के विशिष्ट रूप निम्नवत् हैं–

(1) छात्रों में वेतनभोगी रोजगार के अतिरिक्त विकल्प के रूप में उद्यमिता (स्वरोजगार) की अनुभूति एवं कल्पना करने की क्षमता का विकास करना।

(2) उद्यमिता (स्वरोजगार) प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहित होकर उनमें भावना तथा क्षमतायें विकसित करना जो स्वरोजगार भविष्य को प्रारम्भ करने तथा उसकी स्थापना करने के लिये आवश्यक है।

(3) उद्यमिता (स्वरोजगार) के अवसरों को खोज करने के लिये अन्तर्दृष्टि का विकास करना।

4–उद्यम सम्बन्धी (स्वरोजगार), साहस को संगठित करने तथा उसे सफलतापूर्वक चलाने हेतु छात्रों में क्षमता का विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये व्यावसायिक शिक्षा पढ़ने वाले छात्रों के लिये सामान्य आधारिक विषय के अन्तर्गत निम्नलिखित दो प्रमुख घटकों को रखा गया है–

(1) वातावरणीय शिक्षा तथा ग्रामीण विकास।

(2) उद्यमिता का विकास।

सामान्य आधारिक विषय हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत समय में से 5 प्रतिशत समय वातावरणीय शिक्षा तथा ग्रामीण विकास हेतु तथा 15 प्रतिशत समय उद्यमिता के विकास हेतु निर्धारित किया गया है।

सामान्य आधारिक विषय में 100 अंकों का केवल एक प्रश्न–पत्र तीन घन्टे का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33

खण्ड–क (50 अंक)
(पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास)

(क) पर्यावरणीय शिक्षा–

(1) प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्यायें– 10

1–वनों का काटा जाना।
2–वीरान कर देना।
3–भू–स्खलन।
4–जल स्रोतों का गाद जमाना एवं सूखना।
5–नदियों एवं झीलों का प्रदूषण।
6–विषैले पदार्थ।

(2) व्यावसायिक संकट– 10

1–संगठनीय जोखिमें (संकट)।
2–औजार सम्बन्धी जोखिमें।
3–प्रक्रिया सम्बन्धी जोखिमें।
4–उत्पाद सम्बन्धी जोखिमें।

(3) पर्यावरणीय क्रिया (कार्य)– 10

1–स्रोतों का पर्यावरणीय संरक्षण एवं सुरक्षा।
2–प्रदूषण नियंत्रण
3–पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी नियम एवं शर्तें।
4–अनुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण।
5–वांछित प्रेषण एवं स्वच्छता संबंधी उपाय अभ्यास।
6–स्वास्थ्य लाभ पुनः उपयोग में लाना और प्रतिस्थापन।
7–परिस्थितकीय स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक एवं कृषि वानिकी।
8–सामुदायिक क्रिया–कलाप।
9–प्रकृति के तालमेल में रहना एवं पर्यावरणीय आचार शास्त्र।

(4) व्यावसायिक सुरक्षा– 06

1–अग्नि सुरक्षा।
2–औजारों और सामग्रियों का सुरक्षित प्रयोग।
3–प्रयोगशाला, कार्यशाला और कार्य क्षेत्र में सुरक्षा हेतु आवश्यक सावधानियां।
4–प्राथमिक उपचार।
5–सुरक्षित प्रबन्ध।

(5) भारतीय संस्कृति का अभिमान्य तत्व, पर्यावरण, प्रकृति आधारित जीवन व्यवस्था। 04

(ख) ग्रामीण विकास–

(1) समुदाय के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सेवाओं का प्रावधान, स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान, पर्यावरण स्वच्छता सफाई का सुधार, संक्रामक रोगों, माता–शिशु सुरक्षा एवं विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं पर नियंत्रण एन0 पी0 समुदाय में वांछित स्वास्थ्य, पोषण एवं पर्यावरण स्वच्छता के उपायों का विकास। 06

(2) ग्रामीण विकास हेतु उत्तरदायी माध्यमों का अनुकूलीकरण (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लघु कृषक विकास एजेन्सी, सीमान्त किसान विकास एजेन्सी इत्यादि)। 02

(3) ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण एवं विकास। 02

खण्ड–ख (50 अंक)
उद्यमिता विकास

1–परियोजना निर्माण– 10

1–परियोजना की आख्या तैयार करने की आवश्यकता।

2–परियोजना की आख्या के तत्व (चरण)।

3–विनियोग की सम्भावनाओं, उत्पादन और बाजार के पहलुओं तथा प्रबन्धकीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये परियोजना के आकार का निर्धारण।

4–स्थान एवं मशीन का चुनाव।

5–मजदूर और कच्चे माल की आवश्यकताओं की परियोजना में वांछनीय सूचनाओं के रूप में निर्धारित करना (प्रतिदर्श योजना आख्या)।

6–परियोजना की लागत का अनुमान लगाना। उत्पादन की लागत की अवधारणा, कार्यकारी पूंजी की आवश्यक और लाभांश तथा सूची नियंत्रण की संकल्पना।

7–ब्रेक–इवन–विश्लेषण और लाभकारिता की दर–

उपयोग में लाये जाने की क्षमता का सूचक।

राजस्व बिक्रय सूचक।

8–समय का निर्धारण, परियोजना का संचालन और तकनीक की समीक्षा (कार्य विश्लेषण)।

9–प्रारूपिक परियोजना की आख्याओं का अध्ययन जैसे उपभोक्ता–सामग्री, पूंजी–सामग्री, सहायक सामग्री और सेवायें।

10–बैंकों और आर्थिक संस्थाओं की आवश्यकतायें।

11–परियोजना का मूल्यांकन तकनीक, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य और प्रबन्धकीय पहलू।

12–अभ्यास सत्र (समान प्रकार के उत्पादों की परियोजना की आख्या के निर्माण करने हेतु विद्यार्थियों को अभ्यास करना चाहिये)।

2–प्रोत्साहन की उपलब्धता एवं प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की सहायता करना– 06

1–छोटे–छोटे उद्यमों की सहायता करने एवं उन्हें आगे बढ़ाने हेतु संस्थागत कार्यों की भूमिका एवं महत्व को समझना।

2–सहयोगियों का क्षेत्र एवं लाभ तथा विभिन्न संस्थाओं की प्रेरणादायक कार्य योजनायें।

3–उद्यम में सहयोग करने वाली संस्थाओं के प्रार्थना–पत्रों की रूपरेखा और प्रक्रिया को समझना।

3–संसाधन जुटाना– 02

1–विशिष्ट उत्पाद आवश्यकताओं सहित वित्त कच्चा माल एवं कार्यकर्ता आदि को एकत्र करना।

2–विशिष्ट उत्पाद के सम्बन्ध में कार्य का विश्लेषण करना।

4–इकाई की स्थापना– 06

1–उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियायें, कानूनी आवश्यकतायें।

2–संस्थाओं (फर्म) का पंजीकरण।

3–आकार, स्थिति, खाका, सफाई, बीमा आदि।

5–उद्यमों का प्रबन्ध– 08

1–निर्णय देना–

1–समस्याओं को परिभाषित करना, सूचना एकत्र करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, विकल्प को पहचानना एवं विकल्प का चयन करना। 2–निर्णय लेने की प्रक्रिया पर एक समस्याभ्यास करना।

2–प्रबन्ध का संचालन–

1–खरीददारी करना, सामग्री की योजना चलाना एवं ए0जी0सी0 और ई0ओ0क्यू0 का विश्लेषण करना।

2–वस्तुओं की (निकासी निर्गमन) एवं भण्डारों का लेखा–जोखा रखना।

3–सामग्री की उपलब्धता एवं नियंत्रक।

4–गुणवत्ता नियंत्रण एवं संचालन का नियंत्रण।

5–योजना पर विचार–विमर्श करना एवं एक लघु समस्या के उदाहरण हेतु समय निर्धारित करना।

3–वित्तीय प्रबन्ध–

6–लेखा–जोखा और बहीखाता 08

1–दोहरी प्रविष्टि के सिद्धान्त, बहीखाता का मूल अभिलेख, अन्तिम लेखा–जोखा के संचालन, वित्तीय कथनों को समझाना।

2–लागत की धारणा, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तथा सीमान्त लागतें, मूल्य निर्धारण।

3–बजट तैयार करना और नियंत्रण करना।

4–समस्या के रूप में एक लघु इकाई का मुख्य बजट तैयार करना।

5–कार्य में लगने वाली पूंजी को प्राप्त करने हेतु वित्तीय समस्यायें।

4–बाजार प्रबन्ध–

7–बाजार प्रबन्ध की धारणा 10

1–चार आधार–(क) उत्पाद, (ख) कीमत, (ग) उन्नति, (घ) भौतिक वितरण।

2–पैकेज करना (पैकेजिंग)।

3–उपभोक्तओं की आवश्यकताओं को समझना।

4–वितरण के स्रोत, मूल बिक्रय एजेन्ट, थोक बिक्रेता एवं भण्डारी वितरक।

5–लघु उद्योगों के पूरकों हेतु सरकारी क्रय प्रक्रिया।

6–विक्रय की उन्नति और विज्ञापन करना।

7–विक्रय कला–एक अच्छे विक्रेता की विशेषतायें एवं ग्राहक से उनका व्यवहार।

5–औद्योगिक सम्बन्ध एवं कार्यकर्ताओं का प्रबन्ध–

1–भर्ती की विधियां एवं प्रक्रियायें।

2–मजदूरी एवं प्रेरणायें।

3–मूल्य निर्धारण एवं प्रशिक्षण।

4–नियोजक (मालिक) एवं कर्मचारी के सम्बन्ध।

6–वृद्धि एवं विकास, आधुनिकीकरण एवं विविधता–

1–वृद्धि की धारणा एवं महत्व, विकास एवं आधुनिकीकरण के तरीकों की प्राप्ति।

2–लघु व्यवसाय की वृद्धि एवं उद्यम की समस्याओं पर विचार–विमार्श।

7–औद्योगिक स्थानों का निरीक्षण एवं परियोजना की आख्या का प्रस्तुतीकरण।

पुस्तकें–

कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गयी है। विद्यालय के प्रधान सम्बन्धित विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें।

उपचारात्मक शिक्षण हेतु चार यूनिट टेस्ट निम्नलिखित है–

(i) प्रथम यूनिट टेस्ट (MCQ आधारित) जुलाई द्वितीय सप्ताह 20 अंक
(10 अंक ग्रीष्मावकाश गृहकार्य + 10 अंक यूनिट टेस्ट)

(ii) द्वितीय यूनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न आधारित) अगस्त अन्तिम सप्ताह 20 अंक

(iii) तृतीय यूनिट टेस्ट (MCQ आधारित) नवम्बर अन्तिम सप्ताह 20 अंक

(iv) चतुर्थ यूनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न आधारित) दिसम्बर अन्तिम सप्ताह 20 अंक

नोट– उपरोक्त यूनिट टेस्ट उपचारात्मक शिक्षण के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर लिये जायेंगे। इनके प्राप्तांक परीक्षफल में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।